Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
दांडिक अपील क्रमांक 517/2003

दीनाराम सिन्हा, पिता महेत्तर सिन्हा,
उम्र 23 वर्ष, जाति–कलार, ग्राम देवभोग,
थाना देवभोग, जिला– रायपुर (छ०ग०)

———————————अपीकर्ता

– //विरुद्ध //–

छ०ग० राज्य द्वारा पुलिस थाना देवभोग,
जिला– रायपुर (छ०ग०)

—————————— प्रतिवादी/राज्य

अपीलकर्ता की ओर से श्री एस.पी.साहू अधिवक्ता ।
प्रतिवादी/राज्य की ओर से श्री आशीष गुप्ता, पैनल अधिवक्ता ।

खण्डपीठ माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरडिया
– निर्णय दिनांक 21.01.2020 –

1. प्रस्तुत अपील, विशेष सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय रायपुर (छ०ग०) के द्वारा पारित दोषसिद्धी व दंडादेश विशेष सत्र प्रकरण क्र. 98/2002, निर्णय दिनांक 29.03.2003 से उद्भुत हुआ है, जिसमें अपीलकर्ता को दोषसिद्धी पाते हुये नियमानुसार दंडित किया गया है:–

दोषसिद्धी		सजा
भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (जिसे आगे भा.दं.सं. पढ़ा जावेगा)		दो वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000/–रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड राशि के व्यतिक्रम में दो महिने का अतिरिक्त सश्रम कारावास

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1)(xii)		एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड राशि के व्यतिक्रम में एक महिने का अतिरिक्त सश्रम कारावास
दोनों सजाएं साथ-साथ भुगतायी जावेगी।		

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2002 को मंडार अभियोक्त्री के पिता **(अ.सा.-02)** के द्वारा आरक्षीकेंद्र देवभोग रायपुर में अभियोक्त्री **(अ.सा.-01)** के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर रोजनामचा सान्हा **प्रदर्श पी-10सी** दर्ज किया गया है। रोजनामचा सान्हा के अनुसार दिनांक 09.03.2002 को लगभग 17 वर्षीय अभियोक्त्री शाम 06:00 बजे पुनउराम के घर में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गई थी और वहां से वापस नहीं लौटी, जिसके बाद लगभग 07:00 बजे मंडार **(अ.सा.-02)** पुनउराम के घर जाकर अभियोक्त्री के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन अभियोक्त्री वहां नहीं मिली और वहां से बिना किसी को बताए कहीं चली गई। **(अ.सा.-02)** के द्वारा अपनी पुत्री का विवरण रोजनामचा सान्हा में दिया गया था। अभियोक्त्री की तलाश के दौरान, आरोपी स्वयं अभियोक्त्री के साथ आरक्षीकेंद्र देवभोग पहुंचा जो बरामदगी ज्ञापन **प्रदर्श पी.-08** है। अभियोक्त्री की जाति से संबंधित दस्तावेज **आर्टिकल ए** (जाति प्रमाण पत्र) को जब्त किया गया जो **प्रदर्श पी.-02** है। अभियोक्त्री की चिकित्सकीय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जांच उमा पैकरा **(अ.सा.–04)** के द्वारा की गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट **प्रदर्श पी.–04** प्रस्तुत की थी । उक्त रिपोर्ट **प्रदर्श पी.–04** के अनुसार डॉक्टर के द्वारा अभियोक्त्री के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट का कोई निशान नहीं पाए जाने का उल्लेख किया गया, जिससे यह दर्शित हो सके कि उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाया गया है । डॉक्टर के द्वारा, अभियोक्त्री के साथ बलात्कार हुआ या नहीं इस पर कोई निश्चित राय नहीं दिये जाने का कथन किया गया है, परंतु अभियोक्त्री यौन संबंध बनाने की अभ्यस्त थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. पटवारी जीवन साहू **(अ.सा.–05)** के द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा **प्रदर्श पी–05** तैयार किया गया है । अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में पटवारी पंजी **प्रदर्श पी–07 सी** और दाखिल पंजी **प्रदर्श पी–11 सी** जप्त किये गये । दोनों जप्त किये गये दस्तावेज में अभियोक्त्री की जन्मतिथी दिनांक 19.12.1985 उल्लेख है ।

4. अन्वेषण पूर्ण होने पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के तहत अभियोग पत्र दर्ज किया गया । आरोप तय करते समय विशेष न्यायाधीश के द्वारा आरोपी/अपीलकर्ता के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की

धारा 363, 366 और 376 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) तथा धारा 3(1)(xii) के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया ।

5. अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिये अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 11 साक्षियों का साक्ष्य दर्ज कराया गया है, जिसमें अभियोगिनी **(अ.सा.–01)**, मंधार **(अ.सा.–02),** भोकराम **(अ.सा.–03)**, डॉ० उमा पैंकरा **(अ.सा.–04)**, जीवन साहू **(अ.सा.–05)**, कुम्भकरण **(अ.सा.–06)**, अजय कुमार वर्मा **(अ.सा.–07),** घनश्याम सिंह कश्यप **(अ.सा.–08), आई.आर.साहू (अ.सा.–09),** डॉ० अरूण कुमार **(अ.सा.–10)** और यू.एस.दूबे **(अ.सा.–11)** शामिल थे । अभियुक्त/अपीलकर्ता का **धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किया गया। बचाव के स्तर पर प्रवेश कराये जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को झूठा फंसाया जाना और निर्दोष होना व्यक्त किया । अपने बचाव में अपीलकर्ता ने यह कहा कि उसने अभियोगिनी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले गया बल्कि अभियोगिनी ने स्वयं उसे साथ रहने के लिए बाध्य किया और वह अपनी मर्जी से उसके साथ गयी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात रायपुर (छ०ग०) के विशेष न्यायाधीश ने अपने विवादित निर्णय में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 376 तथा विशेष अधिनियम की धारा 3(2)(v)के आरोपों से दोषमुक्त किया गया, परंतु उन्होंने अभियुक्त/अपीलकर्ता को धारा 363 द०प्र०सं० और विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के अंतर्गत दोषी ठहराया जाकर दंडित किया गया है ।

7. अपीलकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क पेश किया गया है कि अभियोक्त्री केवल पांचवी कक्षा तक पढ़ी थी और अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी आयु को प्रमाणित नहीं किया जा सका है । उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर जबरदस्ती किए गए यौन संबंध के कोई निशान नहीं पाए गए चूंकि अभियोक्त्री सहमति देने वाली पक्ष थी, इसलिये विशेष न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 366 और 376 तथा विशेष अधिनियम की धारा 3(2)(v) के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है । अतः इन परिस्थितियो में अपीलकर्ता को धारा 363 द०प्र०सं० और विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना अनुचित है जिससे उनके द्वारा अभियुक्त को इन आरोपों से मुक्त किये जाने का कथन किया गया है । उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि दस्तावेज **प्रदर्श डी–1** से **डी–3** और केस डायरी में दर्ज बयान **प्रदर्श डी–4** से स्पष्ट है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री समझदार उम्र की थी और अपने भले–बुरे को समझने में सक्षम थी, क्योंकि उसने दिनांक 09.03.2002 से दिनांक 26.03.2002 तक अपीलकर्ता के साथ पर्याप्त समय बिताई थी । उक्त समयावधि में अभियोक्त्री कभी कोई शोर नहीं मचाई और न इस घटना की सूचना किसी को दी थी । अतः वह सहमति देने वाली पक्षकार थी क्योंकि वह अपीलकर्ता के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग में थी । उनका यह भी कहना है कि अपीलकर्ता द्वारा अभियोगिनी को कोई डराने–धमकाने या प्रलोभन देने का कार्य नहीं किया गया है । अतः विचारणीय न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को धारा 363 द०प्र०सं० और विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के तहत दोषी ठहराया जाना गलत है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. वहीं दूसरी ओर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किये गये तर्क का राज्य के अधिवक्ता द्वारा घोर आपत्ति जताई गयी है । उन्होंने यह व्यक्त किया कि कोटवारी पंजी **प्रदर्श पी–7 सी** एवं दाखिला पंजी **प्रदर्श पी–11 सी** तथा अभियोक्त्री के पिता मंडार **(अ.सा.02)** के बयान अनुसार घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 16– 17 वर्ष थी । उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि चूंकि एक नाबालिग लड़की जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित थी, को अपीलकर्ता द्वारा उसके माता–पिता की सहमति के बिना ले जाया गया, इसलिये विशेष न्यायालय ने उसे

भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के अंतर्गत सही तरीके से दोषी ठहराया और दंडित किया गया है । अतः विशेष न्यायालय के निर्णय में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

9. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा विशेष न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोक्त्री के जन्मतिथी को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया है जैसे कि कोटवारी पंजी **प्रदर्श पी–7 सी** जिसे कुम्भकरण **(अ.सा.–06)** के द्वारा अभियोक्त्री की उम्र दिनांक 19.12.1985 दर्ज किया गया और उसकी प्रविष्टि दिनांक 22.12.1985 को कोटवार पंजी में दर्ज की गई थी । कोटवारी पंजी **प्रदर्श पी–7 सी** एक शासकीय दस्तावेज है, जिसे कोटवार के द्वारा अभियोक्त्री की उम्र दर्ज की गई है, उनके पिता मंडार **(अ.सा.–02)** द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार उक्त दस्तावेज को ग्राह्य नहीं किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है । **प्रदर्श पी–11 सी** अभियोक्त्री का दाखिला पंजी है जिसे घनश्याम सिंह कश्यप **(अ.सा.–08)** जो अभियोक्त्री के शिक्षक है, के द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिसके द्वारा उसे स्कुल में पढ़ाई हेतु दाखिल किया गया था । दाखिल पंजी के क्रमांक 977 में उसका नाम,

पिता का नाम, जाति, जन्मतिथि (19.12.1985) आदि का उल्लेख है । अतः **प्रदर्श पी–7 सी** एवं **प्रदर्श पी–11 सी** अभियोक्त्री के पिता **(अ.सा.–02)** के बयान जिसमें उन्होंने अपने कथन के कंडिका क्र. 05 में यह अभिकथन किया है कि अभियोक्त्री की उम्र घटना के समय 17 वर्ष थी, अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम थी । प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री **(अ.सा.–01)** दिनांक 09.03.2002 से लापता थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभियोक्त्री **(अ.सा.–01)** ने अपने कथन की कंडिका क्र. 02, 03 एवं 04 में यह अभिकथन किया है कि अपीलकर्ता ट्रेक्टर चलाने का कार्य कर रहा था एवं वह वहां मजदूरी का कार्य कर रही थी । आगे उसने यह बताया कि घटना दिनांक को जब वह शौच के लिये गयी थी तब उसे अपीलकर्ता खेत में मिला और उसे अपने साथ चलने को कहा, जहां वह उसे अपनी पत्नी की तरह रखने का कथन किया था, परंतु उसने उसे मना कर दिया । तब अपीलकर्ता ने जबरदस्ती उसे अपने मामा के घर रायधर लेकर गया । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया कि वह वहां लगभग 9–10 दिन रही और उस दौरान अपीलकर्ता ने उसके साथ 5–6 बार शारीरिक संबंध बनाया । अभियोक्त्री **(अ.सा.–01)** ने यह भी व्यक्त किया कि वह अपीलकर्ता के साथ रायधर से देवभोग वापस आयी, फिर उसने

पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी और रिपोर्ट दर्ज कराते समय अपीलकर्ता भी वहां उपस्थित था।

12. अभियोक्त्री **(अ.सा.–01)** ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि **प्रदर्श– डी1** और **प्रदर्श– डी2** पत्र उसी के द्वारा लिखे गये थे, परंतु जब उसे यह प्रश्न पूछा गया कि वे किसके लिये लिखे गये थे तब उसके द्वारा इस तथ्य से इंकार कर दिया गया। उसने अपीलकर्ता के साथ अपनी तस्वीर **प्रदर्श डी–3** को भी स्वीकार किया है परंतु उसके द्वारा कहा गया कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर उसने सहमति दी थी कि उसकी तस्वीर अपीलकर्ता के साथ खींची जाए। अभियोक्त्री **(अ.सा.–01)** ने अपने बयान के कंडिका क्रमांक 11 में कहा है कि उसने रायधर में अपीलकर्ता से कहा कि उसे अपने माता–पिता की याद आ रही है, इसलिये उसे घर छोड़ दे, जिस पर अपीलकर्ता उसे रायधर से देवभोग तक पैदल छोड़ने आया। दिनांक 09.02.2002 से दिनांक 26.03.2002 तक की यात्रा के दौरान अभियोक्त्री ने कहीं भी कोई शोर नहीं मचाया या रायधर में कोई शिकायत नहीं की, जहां वह अपीलकर्ता के मामा के घर में रूकी थी, जबकि उसके पास जबरन अपहरण की शिकायत करने के पर्याप्त अवसर और समय था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। केसडायरी **प्रदर्श डी–4** के अनुसार अभियोक्त्री के बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह अपीलकर्ता के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साथ पहले चांदाहांडी (उड़ीसा) पहुंची, वहां से वे पैदल रायधर गए । दिनांक 09.03.2002 को, जहां विवाह समारोह हो रहा था, वहां से अभियोक्त्री और अपीलकर्ता अलग–अलग स्थानों पर गये थे और अभियोक्त्री के अनुरोध पर, अपीलकर्ता दिनांक 26.03.2002 को अभियोक्त्री के पैतृक घर वापस आ गया था ।

13. अभियोक्त्री **(अ.सा.–01)** की पूरी गवाही और उसके संपूर्ण आचारण को देखते हुये यह प्रमाणित होता है कि अभियोक्त्री और अभियुक्त/अपीलकर्ता के पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अभियोक्त्री ने अपनी मर्जी से अपने माता–पिता का घर छोड़ा था और अभियुक्त/अपीलकर्ता के साथ चांदाहांडी (उड़ीसा) और फिर वहां से पैदल रायधर गई । अपीलकर्ता के साथ रहने के दौरान अभियोक्त्री को यह अवसर प्राप्त था कि वह यह बता सके कि अपीलकर्ता ने उसका अपहरण किया है और अपने मामा के घर में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, परंतु उसने ऐसा नहीं किया । जिससे यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री अपीलकर्ता से प्रेम करती थी । डॉ० उमा पैंकरा **(अ.सा.–04)** की रिपोर्ट **प्रदर्श पी–4** के अनुसार, जबरदस्ती किये गये यौन संबंध को कोई प्रमाण नहीं है और अभियोक्त्री को यौन संबंध की आदत थी । इसके अलावा, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अभियोक्त्री किसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकार के भय, दबाव या प्रलोभन के तहत कार्य की थी । अभियोक्त्री का संपूर्ण आचरण स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी । विशेष न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोक्त्री और अपीलकर्ता दोनों एक–दूसरे से प्रेम करते थे और अभियोक्त्री सहमति देने वाली पक्षकार थी, इसलिये यह न्यायालय भी विशेष न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादृष्टांत ***हरियाणा राज्य वि० राजा राम (AIR 1973 SC 819)*** के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि अभियोक्त्री, जो कि एक नाबालिग लड़की थी, आरोपी द्वारा उसे एक शानदार जीवन देने के प्रलोभन में अपने माता–पिता की वैध संरक्षता से ले जाई गई थी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुये आरोपी की धारा 366 द०प्र०सं० के अंतर्गत दोषसिद्धी को सही ठहराया गया है ।

15. वर्तमान मामले में भी, जैसा कि उरोक्त मामले में चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह सफलतापूर्वक प्रमाणित किया है कि घटना की तिथि को अभियोक्त्री की

उम्र 18 वर्ष से कम थी, भले ही उसने आरोपी/अपीलकर्ता के साथ जाने की सहमति दी हो, परंतु उपर्युक्त न्यायदृष्टांत ***राजा राम*** के निर्णय अनुसार, ऐसी सहमति का कोई महत्व नहीं है । इसलिये, विशेष न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को धारा 363 द०प्र०सं० के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना न्यायसंगत और उचित है, और इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जहां तक विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xii) का संबंध है, अभियोक्त्री के बयान, इस तथ्य को कि उसने अपीलकर्ता के साथ कई स्थानों की यात्रा की, उसकी तस्वीर अपीलकर्ता के साथ **प्रदर्श डी–3** थी, और किसी भी समय उसने अपीलकर्ता के कृत्य का विरोध नहीं किया या उसके अपहरण या यौन उत्पीड़न की शिकायत किसी से नहीं की, बल्कि उसकी स्वयं की मांग पर अपीलकर्ता ने उसे उसके माता–पिता के घर वापस पहुंचाया, इन तथ्यों को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता अभियोक्त्री की इच्छा पर हावी था, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित थी बल्कि संपूर्ण साक्ष्यों से यह प्रतीत होता कि अभियोक्त्री ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपीलकर्ता का साथ दिया । इन परिस्थितियों में, विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के अंतर्गत

अभियुक्त के खिलाफ अपराध प्रमाणित नहीं होता है और इस दोषसिद्धी को निरस्त किया जाना उचित होगा ।

17. जहां तक धारा 363 द०प्र०स० के अंतर्गत दी गई सजा का प्रश्न है, यह देखते हुये कि घटना के समय अपीलकर्ता की आयु 23 वर्ष थी, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अपीलकर्ता और अभियोक्त्री एक–दूसरे से प्रेम करते थे, अभियोक्त्री स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ कई स्थानों पर गई और लगभग 9–10 दिनों तक उसके मामा के घर में बिना किसी विरोध के रही और फिर उसकी अपनी मांग पर अपीलकर्ता ने उसे उसके माता–पिता के घर वापस लाया, यह घटना लगभग 17 वर्ष पूर्व की है, अपीलकर्ता पहले ही लगभग पांच महीने और एक सप्ताह जेल में रह चुका है और दिनांक 28.04.2003 से जमानत पर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत ***जॉर्ज् पॉन पाउल वि० कानागलेट एवं अन्य (2009) 13 SCC 478*** के मामले में जहां न्यायालय ने यह माना कि अर्थदंड जमा किया गया और पीडिता को भुगतान किया गया तथा लंबे समय के अंतराल को ध्यान में रखते हुये अपीलकर्ता को केवल पहले से भुगतायी गई सजा तक ही सीमित रखा गया, इस दृष्टिकोण को अपनाते हुये, न्यायालय भी यह मानता है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के दोबारा जेल भेजने का कोई औचित्य नहीं है । न्याय के सिद्धांतों की पूर्ति के लिये यह उचित होगा कि उसे पहले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से भुगतायी गई सजा के रूप में ही सजा दी जाए, जबकि विशेष न्यायालय द्वारा लगाए गए अर्थदंड एवं वैकल्पिक सजा को बरकरार रखा गया है ।

18. **निष्कर्ष –** अपील आशिंक रूप से स्वीकृत की जाती है । विशेष न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धी और सजा को निरस्त किया जाता है और अपीलकर्ता को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । हांलांकि विशेष न्यायालय द्वारा धारा 363 द०प्र०सं० के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धी को बरकरार रखते हुये उसे पहले से भुगतायी गई सजा तक ही सीमित रखा जाता है, परंतु उस पर लगाए गए अर्थदंड और उसकी व्यतिक्रम पर दी गयी सजा यथावत रहेगी । अपीलकर्ता वर्तमान में जमानत पर है, इसलिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–A के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता की जमानत छः महीने की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
(गौतम चौरडिया)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur